दिनांक 19.11.2018 को पूर्वा० 11:30 बजे विशेष सचिव–सह–अध्यक्ष शिकायत निवारण समिति, श्रम संसाधन विभाग की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में संपन्न शिकायत निवारण समिति की बैठक की कार्यवाही–

उपस्थिति–

| | | |
|---|---|---|
| 1. श्री के० सेंथिल कुमार | – विशेष सचिव | – अध्यक्ष |
| 2. श्रीमति सुधा रानी | – विशेष कार्य पदाधिकारी | – सदस्य |
| 3. श्री विवेक कुमार | – संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण | – सदस्य |
| 4. श्री मोहन रजक | – अवर सचिव, श्रम पक्ष | |
| 5. श्रीमति तृप्ति चौधरी | – उप निदेशक, चिकित्सा सेवायें | |
| 6. श्री राकेश कुमार | – सहायक निदेशक, प्रशिक्षण | |
| 7. मो० मुस्तफा मंसूरी | – प्रशाखा पदाधिकारी–03 (सरकार पक्ष) | |
| 8. श्री देवेश कुमार | – श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी (सरकार पक्ष) | |

## कार्यवाही

समिति के समक्ष रक्षित मामलों के कार्यान्वयन की अद्यतन स्थिति की जानकारी उपस्थित पदाधिकारियों/प्रतिनिधियों द्वारा निम्न रूप से दी गयी :–

## प्रशिक्षण पक्ष

प्रशिक्षण पक्ष में लंबित मामलों की अनुपालन स्थिति निम्न है–

| आवेदक का नाम | विषय/अद्यतन स्थिति |
|---|---|
| 1. श्री रामानंद सिंह, सेवानिवृत्त मुख्य अनुदेशक, औ0 प्र0 संस्थान, कटिहार | **अंकेक्षण आपत्ति सं0–125/2009–10 के संबंध में–** प्रशिक्षण पक्ष के पत्रांक–2558 दिनांक 16.11.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निदेशालय पत्रांक–2326 दिनांक 10.10.2018 के द्वारा प्राचार्य, औ०प्र०संस्थान, कटिहार को व्यक्तिगत रुप से महालेखाकार कार्यालय से संपर्क कर मामले का निराकरण करने हेतु पत्र दिया गया है। कृत कार्रवाई का अनुपालन प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के कारण प्राचार्य, औ०प्र०संस्थान, कटिहार का वेतन स्थगित किये जाने की कार्रवाई की जा रही है। सहायक निदेशक, प्रशिक्षण को निदेश दिया गया कि मामले के निष्पादन में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है। अतः प्राथमिकता के आधार पर अविलम्ब मामले का निष्पादन कराया जाए। |
| 2. श्री राम नरेश सिंह एवं अन्य, कार्यालय परिचारी, प्रशिक्षण पक्ष, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण। | **ग्रीष्म कालीन वर्दी की आपूर्ति की संबंध में–** प्रशिक्षण पक्ष के पत्रांक–2558 दिनांक–16.11.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संबंधित कर्मियों को वर्दी की आपूर्त्ति कर दी गई है। चूँकि आवेदकों के शिकायत का निवारण हो गया है। अतएव प्रशिक्षण पक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में मामले को निष्पादित मानते हुए सूची से विलोपित करने का निर्णय समिति द्वारा लिया गया। |

| | |
|---|---|
| 3. श्री चन्द्रदेव राम,<br>सहायक लेखा पदाधिकारी,<br>निदेशालय,नियोजन एवं प्रशिक्षण<br>प्रशिक्षण पक्ष | **विभिन्न सामग्रियों एवं नाश्ता–पानी के क्रय में हुए व्यय की राशि रू०–12131/– मात्र का भुगतान के संबंध में–**<br>प्रशिक्षण पक्ष के पत्रांक–2558 दिनांक–16.11.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निदेशालय पत्रांक–1795 दिनांक 03.08.2018 द्वारा श्री अरुण कुमार, लिपिक (पूर्व भण्डारपाल, निदेशालय प्रशिक्षण) को आवश्यक कार्रवाई किये जाने हेतु पत्र दिया गया है।<br>विगत बैठक में निदेश दिया गया था कि श्री अरुण कुमार, लिपिक को स्मारित करते हुए उन्हें मुख्यालय बुलाकर अविलम्ब मामले का निस्तारण कराया जाए। ऐसा प्रतीत होता है कि दिए गए निदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। सहायक निदेशक, प्रशिक्षण को पुनः निदेश दिया गया कि संबंधित कर्मी को अविलम्ब मुख्यालय बुलाकर मामले का निस्तारण कराया जाए। |
| 4. श्री चन्द्रदेव राम,<br>सहायक लेखा पदाधिकारी,<br>निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण<br>प्रशिक्षण पक्ष | **लेखापाल, लेखा निरीक्षक एवं सहायक लेखा पदाधिकारी का वेतन विसंगति दूर करने के संबंध में–**<br>प्रशिक्षण पक्ष के पत्रांक–2558 दिनांक–16.11.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त मामले पर वित्त विभाग के परामर्श के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग को संचिका भेजने की कार्रवाई की गई है। उक्त संचिका सामान्य प्रशासन विभाग से वापस नहीं आया है।<br>उपस्थित सहायक निदेशक, प्रशिक्षण को निदेश दिया गया 'सामान्य प्रशासन विभाग' को स्मारित कर संचिका प्राप्त की जाए एवं मामले का शीघ्र निस्तारण कराया जाए। |
| 5. श्री प्रवीण कुमार,<br>सहायक,<br>निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण<br>(प्रशिक्षण) | **बिपार्ड में प्रवेशकालीन प्रशिक्षण हेतु देश यात्रा भत्ता भुगतान के संबंध में–**<br>प्रशिक्षण पक्ष के पत्रांक–2558 दिनांक–16.11.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक के विपत्र की जाँच कर ली गई है। स्वीकृत्यादेश निर्गत करने की कार्रवाई की जा रही है।<br>सहायक निदेशक, प्रशिक्षण को निदेश दिया गया कि शीघ्र आवेदक के भत्ते का भुगतान कर समिति को प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए। |
| 6. श्री वरुण ठाकुर,<br>पूर्व संविदा अनुदेशक,<br>ठाकुरगंज, किशनगंज | **झुठे एवं गलत तथ्यों के आधार पर सेवा से हटाये जाने के संबंध में–**<br>प्रशिक्षण पक्ष के पत्रांक–2558 दिनांक–16.11.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्री वरुण ठाकुर, पूर्व संविदा अनुदेशक, ठाकुरगंज, किशनगंज का अवधि विस्तार एक वर्ष के लिए करने के लिए संलेख मंत्रिपरिषद की स्वीकृति हेतु भेजा गया है।<br>उपस्थित सहायक निदेशक, प्रशिक्षण को निदेश दिया गया कि शीघ्र मामले का निस्तारण कराया जाए। |

# नियोजन पक्ष

नियोजन पक्ष से कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। सहायक निदेशक, नियोजन को निदेश दिया गया कि बैठक हेतु कृत कार्रवाई से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन समिति को अवश्य उपलब्ध कराया जाए ताकि मामलों की समीक्षा कर शीघ्र निष्पादन किया जा सके। विगत बैठक के अनुसार समिति के समक्ष निम्न मामले रक्षित हैं–

| | |
|---|---|
| 1. श्री परम प्रकाश नंद, सहायक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन)<br>2. श्री उमेश कुमार दास, सहायक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन) | **विपार्ड में प्रवेश कालीन प्रशिक्षण हेतु देय यात्रा भत्ता भुगतान के संबंध में।**<br>नियोजन पक्ष के पत्रांक 1031 दिनांक 05.10.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि स्थापना पटल से स्वीकृत्यादेश निर्गत। भुगतान के निमित्त लेखा शाखा द्वारा विपत्र भुगतान की कार्रवाई की जा रही है। |
| 3. श्री परम प्रकाश नंद, सहायक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन) | **दिनांक 04.04.2018 से दिनांक 19.04.2018 तक कुल 16 दिनों के उपार्जित अवकाश की अब तक स्वीकृति न किए जाने के संबंध में।**<br>नियोजन पक्ष के पत्रांक 1031 दिनांक 05.10.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्री नन्द, सहायक की मूल संचिका 01/स्था०(मू०) 10/2015 में वस्तुस्थिति अंकित कर अग्रतर कार्रवाई हेतु उपस्थापित है। |
| 4. श्री परम प्रकाश नंद, सहायक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन) | **कार्यालय आदेश संख्या–01/स्था0 (मु0)–06/2017–47 दिनांक 29.06.2017 के आलोक में वार्षिक वेतन वृद्धि की स्वीकृति के बावजूद अब तक लाभ न दिए जाने के संबंध में।**<br>नियोजन पक्ष के पत्रांक 1031 दिनांक 05.10.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संचिका उच्च स्तर पर उपस्थापित है। मामला विचाराधीन है। |
| 5. श्री परम प्रकाश नंद, सहायक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन) | **दिनांक 27.04.2017 से 21.06.2017 तक चिकित्सा में रहने के कारण लंबित अवकाश की स्वीकृति एवं भुगतान के संबंध में।**<br>आवेदक से प्राप्त विषयांकित आवेदन को विभागीय पत्रांक 2354 दिनांक 04.10.2018 द्वारा अग्रतर कार्रवाई हेतु नियोजन पक्ष भेजा गया है। |

निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण व्यक्तिगत ध्यान देकर नियोजन पक्ष में लंबित मामलों में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए मामलों का शीघ्र निष्पादन करायेंगे एवं तद्नुसार समिति को प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

# श्रम पक्ष

श्रम पक्ष में लंबित मामलों की अनुपालन स्थित निम्न है:–

| | |
|---|---|
| 1. श्री धनन्जय कुमार एवं अन्य निम्न वर्गीय लिपिक, कर्मचारीगण, सहायक श्रमायुक्त का कार्यालय, सहरसा। | **श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी (भर्ती एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2017 में संशोधन कर प्रोन्नति के द्वारा नियुक्ति हेतु पद का प्रतिशत निर्धारित करने के संबंध में।**<br>श्रम पक्ष का पत्रांक 7561 दिनांक 19.11.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि पुरानी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी (भर्ती एवं सेवाशर्त) नियमावली 1990 के अंतर्गत श्रमायुक्त के नियंत्रणाधीन वर्ग 3 के पदों पर कार्यरत कर्मियों को श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी के पद पर सीधी भर्त्ती के साथ–साथ वर्ग 3 के कर्मियों की प्रोन्नति भी होती थी। नई श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी (भर्ती एवं सेवाशर्त) नियमावली 2017 दिनांक 11.02.2017 से अधिसूचित है, जिसके अंतर्गत श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के शत प्रतिशत पदों पर आयोग की अनुशंसा के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान है। उल्लेखनीय है कि नई नियमावली मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत के पश्चात् पिछले वर्ष से लागू है।<br>श्री धनन्जय कुमार एवं अन्य लिपिक संवर्ग के कर्मियों द्वारा नई श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी (भर्ती एवं सेवाशर्त) नियमावली 2017 में संशोधन कर पूर्व की नियमावली की भाँति श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी का पद सीधी नियुक्ति के साथ–साथ प्रोन्नति के आधार पर भी भरने हेतु कोटा निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है। अनुरोध के आलोक मे उच्च स्तरीय निर्णय हेतु संचिका उपस्थापित है।<br>उपस्थित अवर सचिव, श्रम पक्ष को निदेश दिया गया कि नियमानुसार शीघ्र आवश्यक निर्णय लेकर मामले का निष्पादन कराया जाए। |

**बैठक सधन्यवाद, समाप्त हुई।**

| | | |
|---|---|---|
| 19/11/18 | 19.11.18 | 19/11/18 |
| (विवेक कुमार) | (सुधा रानी) | (के०सेंथिल कुमार) |
| संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण | विशेष कार्य पदाधिकारी | विशेष सचिव |
| सदस्य | सदस्य | अध्यक्ष |

ज्ञापांकः–3 / श्रम विधि (शि0नि0)–01 / 2018 श्र0 सं0 2663 पटना, दिनांक 23/11/2018

प्रतिलिपिः– निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण (दो प्रतियों में) / श्रमायुक्त, बिहार / निदेशक चिकित्सा सेवायें, कर्म0रा0बीमा योजना / श्रीमती सुधा रानी, विशेष कार्य पदाधिकारी / संयुक्त श्रमायुक्त–01 / संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण / सहायक निदेशक, नियोजन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/11/18

विशेष सचिव–सह–अध्यक्ष

ज्ञापांकः–3 / श्रम विधि (शि0नि0)–01 / 2018 श्र0 सं0 2663 पटना, दिनांक 23/11/2018

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, श्रम पक्ष / उप निदेशक, चिकित्सा सेवायें, कर्मचारी राज्य बीमा योजना / श्री राकेश कुमार, सहायक निदेशक, प्रशिक्षण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित / आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग को बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

19/11/18

विशेष सचिव–सह–अध्यक्ष

ज्ञापांकः–3 / श्रम विधि (शि0नि0)–01 / 2018 श्र0 सं0 2663 पटना, दिनांक 23/11/2018

प्रतिलिपिः– सचिव विधि विभाग / प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

19/11/18

विशेष सचिव–सह–अध्यक्ष

proceeding of GRC new doc.513